Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में थानाधिकारी, पुलिस थाना लोहावट एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 जून, शनिवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज जोधपुर में कार्यवाही करते हुये केशाराम उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण को उसके दलाल रणवीर सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध शिकायत को रफा–दफा करने की एवज में केशाराम उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण द्वारा उसके दलाल रणवीर सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री संजय कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा जोधपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये केशाराम जैनाराम जाट निवासी पनल की बेरी, तहसील व थाना धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण को उसके दलाल रणवीर सिंह पुत्र श्री रूप सिंह राजपूत निवासी पीलवा, थाना लोहावट, जिला जोधपुर ग्रामीण (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 15 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।